(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 1355-एक/2013 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 22-3-2017- पारित व्दारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 679/2015-16 अपील

1- बान सिंह
2- देवी पुत्रगण रामचरण
3- पोषण सिंह 4- थान सिंह
5- माखन सिंह पुत्रगण नारायण सिंह
सभी ग्राम बेहरूका तहसील सेवढ़ा
जिला दतिया मध्य प्रदेश -----आवेदकगण

विरूद्ध

1- यशोदानन्दन 2- रामकुमार
3- रामगोपाल 4- रामसहाय
चारों पुत्रगण रघुवर दयाल चौबे
ग्राम बेहरूका तहसील सेवढ़ा जिला दतिया ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री अशोक भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री वृजेन्द्र सिंह धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 5-12-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 679/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-3-17 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक यशोदानन्दन ने अनुविभागीय अधिकारी दतिया को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 के अंतर्गत आवेदन देकर उसके स्वामित्व का ग्राम बेहरूका की भूमि का पुराना सर्वे क्रमांक 409/2 नया सर्वे नंबर 604, 582, 588 की त्रृटि सुधार कर आवेदन देकर बताया कि सर्वे क्रमांक

604 की भूमि अन्य के नाम त्रृटिपूर्ण ढंग से दर्ज हो गई है जिसे सुधार दिया जाय। अनुविभागीय अधिकारी दतिया ने प्रकरण क्रमांक 62 अ-5/2005-06 पॅजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 15-7-05 पारित करके त्रृटि सुधार कर आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर दतिया के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर दतिया ने प्रकरण कमांक 11/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-9-07 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी दतिया का आदेश निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 51/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-4-2010 से अपर कलेक्टर दतिया के को यथावत् रखा। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल म.प्र. ग्चालियर में निगरानी प्रस्तुत हुई। राजस्व मण्डल म.प्र. ग्चालियर से प्रकरण क्रमांक 570-एक/2010 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21-9-12 से तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया।

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्चालियर कि आदेश दिनांक 21-9-12 पर से अनुविभागीय अधिकारी दतिया ने प्रकरण क्रमांक 45 बी-121/2012-13 में पक्षकारों की सुनवाई की तथा आदेश दिनांक 17-10-13 पारित किया एंव राजस्व निरीक्षक बड़ौनी के प्रतिवेदन दिनांक 24-8-13 के अनुसार पटवारी अभिलेख में अक्स में सॅशोधन के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर दतिया के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर दतिया ने प्रकरण क्रमांक 3/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 1-9-14 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी दतिया का आदेश दिनांक 17-10-13 निरस्त कर दिया। अपर कलेक्टर दतिया के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 679/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-3-17 से अपील स्वीकार कर अपर कलेक्टर दतिया का आदेश निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी दतिया के आदेश दिनांक 17-10-13 को यथावत् रखा। अपर कलेक्टर दतिया के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने। दोनों पक्षों के अभिभाषकों ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को एंव लेखी बहस के तथ्यों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी दतिया ने आदेश दिनांक 17-10-13 में निर्णीत किया है कि-

> आवेदक व्दारा प्रस्तुत आवेदन एंव राजस्व मंडल ग्वालियर के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक वृत्त बड़ौनी खुर्द से जांच प्रतिवेदन तलब किया गया तथा अनावेदकगणों को नोटिस जारी किये गये। अनावेदकगणों की ओर से अभिभाषक श्री के.के.शर्मा एंव बी.के.शर्मा अभिभाषक उपस्थित हुये जनके उपस्थित होने के वाद एंव राजस्व निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के वाद प्रकरण में बहस सुनी गई। माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर के निर्देशानुसार उभय पक्ष को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देकर मेरे व्दारा उभय पक्ष के तर्को का मनन किया गया। राजस्व निरीक्षक बड़ौनी के प्रतिवेदन दिनांक 24-8-13 एंव स्थल पंचनामा का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक बड़ौनी के प्रतिवेदन दिनांक 24-8-13 एंव स्थल पंचनामा से सहमत होते हुये हलका पटवारी अभिलेख में एंव नियमानुसार अक्स में संशोधन करें।

अपर कलेक्टर दतिया ने आदेश दिनांक 1-9-14 के पद 4 (3) में इस प्रकार विवेचित करते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है -

अधीनस्थ न्यायालय व्दारा प्रकरण की जांच उपरांत उभय पक्ष के तर्क श्रवण कर अक्श में संशोधन किये जाने संबंधी आदेश पारित किया गया है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 107(5) के प्रावधानों के तहत बंदोवस्त में की गई अक्श संबंधी किन्हीं भी त्रृटियों को सुधार करने की अधिकारिता कलेक्टर को प्रदाय की गई है।

अपर आयुक्त , ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 22-3-17 के पद 8 में इस प्रकार निष्कर्ष अंकित किया है -

दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया प्रकट है कि अनुविभागीय अधिकारी की मूल कार्यवाही संहिता की धारा 89 के अंतर्गत बंदोवस्त सुधार से संबंधित है। संहिता की धारा 24 में आ (8) में संहिता की धारा 89 एंव 107 के अंतर्गत कार्यवाही करने के अधिकार नजूल अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले डिप्टी कलेक्टर को प्रदत्त किये गये हैं। प्रत्येक अनुविभाग का अनुविभागीय अधिकारी अपने क्षेत्र के लिये नजूल अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अधिकारिता रहित माना है जब कि अनुविभागीय अधिकारी को संहिता की धारा 89 एंव 107 दोनों में ही अधिकारिता प्रदत्त है।

अपर आयुक्त , ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 22-3-17 में उपरोक्तनुसार दिये गये निष्कर्ष के क्रम में संहिता की धारा 24 आ (8) का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है -

धारा 24 आ (8) - म0प्र0 राजपत्र दिनांक 2 फरवरी 1968 में प्रकाशित अधिसूचना क. 3216-2369-आठ-66 दिनांक 22 दिसम्बर 1966 व्दारा संहिता की धारा 28, 33, 37, 57(2), 72 (अब 70) , 73(अब 89) , 93, 94, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 120, 124, 125, 129, 130 और 131 के अधीन राजस्व अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियां राज्य में नजूल अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले समस्त डिप्टी कलेक्टरों को प्रदान की गई है।

उपरोक्त से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 22-3-17 में की गई विवेचना एंव निकाला गया निष्कर्ष – '' संहिता की धारा 24 में आ (8) में संहिता की धारा 89 एंव 107 के अंतर्गत कार्यवाही करने के अधिकार नजूल अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले डिप्टी कलेक्टर को प्रदत्त किये गये हैं। प्रत्येक अनुविभाग का अनुविभागीय अधिकारी अपने क्षेत्र के लिये नजूल अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करता है। '' – उचित प्रतीत होता है जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 679/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-3-17 हस्तक्षेप योग्य प्रतीत नहीं होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 679/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-3-17 उचित प्रतीत होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर